# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग
## अधिसूचना

संᴑसं०–01/स्था० (सहा० अभि०)–02/2024 /न०वि०एवंआ०वि० दिनांक–

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं०–07/2020 के अन्तर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–01 दिनांक–29.04.2025 द्वारा अनुशंसित सफल 01 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता तथा अन्य देय भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:–

| क्र० सं० | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | स्थायी पता | गृह जिला | मेघा क्रमांक | रौल नं० | आरक्षण कोटि | जन्म तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री ज्योति प्रकाश | श्री जैनेन्द्र कुमार | श्री ज्योति प्रकाश, C/o श्री अर्जुन शर्मा, ब्रह्मऋषि कॉलोनी, मसौढ़ी, पटना पिन–804452, मो०–7598453246 ई–मेल– jyotip600@gmail.com | पटना | 42 | 705145 | अनारक्षित | 27.04.1996 |

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
3. अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड संस्था से सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।
4. उक्त के पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
5. सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर विभाग में अचूक रूप से अपना योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द किये जाने पर विभाग स्वतंत्र होगा।
6. पूर्व वृत्त सत्यापन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छह माह के लिए इनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
7. अभ्यर्थी के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन स्थल पर योगदान/प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

8. अभ्यर्थी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेन/नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. इनकी परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष की होगी तथा इनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

10. पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत होने की स्थिति में विरमन पत्र तथा अन्य सेवा से त्याग–पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति संबंधी पत्र योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

12. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर योगदान हेतु आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

**(राजीव रंजन तिवारी)**
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 01/स्था0 (सहा0 अभि0)–02/2024 न०वि०वि० पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 01/स्था0 (सहा0 अभि0)–02/2024 6837 न०वि०वि० पटना, दिनांक– 18/06/25
प्रतिलिपिः– महानिदेशक, बिपार्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सहायक निदेशक, बिपार्ड, फुलवारीशरीफ एवं गया/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/संबंधित सहायक अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2025
सरकार के अवर सचिव।